

502 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

[2023] 10 एस सी आर 502:2023 आई. एन. एस. सी 642

ए.

रोहित बिश्रोई बनाम।

राजस्थान राज्य और ए. एन. आर. (2023 की आपराधिक अपील संख्या 2078) 24
जुलाई, 2023

बी.

[बी. वी. नागरत्ना और

प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 439-जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियां-तथ्यों पर, एक सम्मान के लिए हत्या का मामला, जिसमें पीड़ित प्रत्यर्थियों की साली के साथ संबंध में विवाहेतर-जीवित रहती है-आरोप कि प्रत्यर्थियों ने पीड़ित को मारने की साजिश रची और बाद में उसे गोली मार दी-प्रत्यर्थियों के खिलाफ पीड़ित के भाई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी-प्रत्यर्थियों ने यू/एस पर आरोप लगाया। 302 और 120 बी आई. पी. सी. और एस. एस. 3 आर/डब्ल्यू एसएस 25 और शस्त्र अधिनियम के 27-जमानत आवेदन-उच्च न्यायालय द्वारा जमानत का अनुदान, एक आकस्मिक और गुप्त आदेश द्वारा-का औचित्य-आयोजित: जबकि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता एक अमूल्य अधिकार है, साथ ही जमानत आवेदन पर विचार करते समय, अदालतें किसी आरोपी के खिलाफ आरोपों की गंभीर प्रकृति और मामले से संबंधित तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं-तथ्यों पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया पूरी तरह से झूठे, तुच्छ या परेशान करने वाले प्रकृति के हैं, ताकि जमानत देने को उचित अपास्त करना जा सके-अभियोजन ने रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री लाई है जो प्रथम दृष्टया आरोपी के अपराध की ओर इशारा करती है-उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करते समय मामले के एक भी भौतिक पहलू को ध्यान में नहीं रखा, इसके बजाय, मुकदमे में केवल एक शत्रुतापूर्ण गवाह की गवाही को संदर्भित किया गया और उसके आधार पर, प्रयोग किया गया। 120 बी और 303-शस्त्र अधिनियम, 1959-एस. एस. 3, 25 और 27.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

धारा 439-जमानत की मंजूरी-विचार किए जाने वाले कारक-चर्चा की गई।

अधिकतम:“ सेसांते राशन लेजिस सेसैट इप्सा लेक्स ”-का अर्थ।

एच.

502

503

रोहित बिश्रोई बनाम राजस्थान और ए. एन. आर. राज्य।

ए.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** जमानत देने का निर्णय लेते समय जिन प्राथमिक विचारों को संतुलित रखा जाना चाहिए, वे हैं:अपराध की गंभीरता; अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना; अभियोजन पक्ष के गवाहों पर अभियुक्त की रिहाई का प्रभाव; अभियुक्त के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना।यद्यपि ऐसी सूची संपूर्ण नहीं है, यह कहा जा सकता है कि यदि कोई न्यायालय जमानत आवेदन पर निर्णय लेने में ऐसे कारकों को ध्यान में रखता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निर्णय अपने विवेक के विवेकपूर्ण प्रयोग के परिणामस्वरूप हुआ है।बिना कारणों को दर्ज किए यांत्रिक तरीके से जमानत देने का आदेश मन का उपयोग न करने के दुष्प्रभाव से ग्रस्त होगा, जिससे यह अवैध हो जाएगा।एक अभियुक्त को जमानत देने का आदेश, यदि आकस्मिक और गुप्त तरीके से पारित किया जाता है, तो इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद **136** के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अपास्त करना किया जा सकता है।लैटिन उक्ति

बी.

सी.

“ सेसांते राशन लेजिस सेसैट इप्सा लेक्स ”जिसका अर्थ है" कारण है

डी.

कानून की आत्मा, और जब किसी विशेष कानून का कारण समाप्त हो जाता है, तो कानून भी ऐसा ही करता है।[पैरा **18-21**] [**512-G-H; 513-B, D-E**] **1.2** जबकि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता एक अमूल्य अधिकार है, उसी समय जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालयें किसी आरोपी के खिलाफ आरोपों की गंभीर प्रकृति और मामले से संबंधित तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं, विशेष रूप से जब आरोप झूठे, तुच्छ या परेशान करने वाले प्रकृति के नहीं हो सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर लाई गई पर्याप्त सामग्री द्वारा

समर्थित हैं ताकि न्यायालय को प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके। जमानत देने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष कारणों से समर्थित होना चाहिए और रिकॉर्ड में लाए गए मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उस पर पहुंचना चाहिए। अपराध की प्रकृति, अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई हो, और किसी अभियुक्त के खिलाफ कथित अपराध/धाराओं के संबंध में दोषसिद्धि के बाद आने वाली सजा की प्रकृति के बारे में सुझाव देने वाले तथ्यों पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

[पैरा 22] [513-एफ-एच]

ई.

एफ.

जी.

1.4 न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जमानत देते समय अभियोजन पक्ष के मामले के गुण-दोष के बारे में विस्तृत कारण बताए या बारी-बारी से जांच करे, विशेष रूप से जब मुकदमा प्रारंभिक चरण में हो और आरोपी के खिलाफ आरोप नहीं होते।

एच.

504 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

ए.

इस तरह से क्रिस्टलीकृत किया गया। विस्तृत विवरण दर्ज नहीं किया जा सकता है ताकि यह धारणा दी जा सके कि मामला ऐसा है जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होगी या इसके विपरीत, जमानत देने के आवेदन पर आदेश पारित करते समय बरी हो जाएगा। हालाँकि, जमानत आवेदन का निर्णय लेने वाला न्यायालय मामले के भौतिक पहलुओं जैसे कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों से अपने निर्णय को पूरी तरह से अलग नहीं कर सकता है; यदि आरोप उचित संदेह से परे साबित होते हैं और इसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होती है तो सजा की गंभीरता; गवाहों के अभियुक्त से प्रभावित होने की उचित आशंका; साक्ष्य के साथ छेड़छाड़; अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि; और अभियुक्त के खिलाफ आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि। **[पैरा 23] [514-बी-डी]**

बी.

सी.

1.5 तत्काल मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया पूरी तरह से झूठे, तुच्छ या परेशान करने वाले प्रकृति के हैं, ताकि जमानत देने को उचित ठहराया जा सके। जबकि मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है, कि अभियोजन पक्ष ने रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री लाई है जो प्रथम दृष्टया आरोपी के अपराध की

ओर इशारा करती है। जिस तरह से मृतक और एन का आरोपी द्वारा पता लगाया गया था, कथित दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पहले आरोपी द्वारा किए गए जासूसी के कार्य और जिस तरह से प्रत्येक आरोपी ने कथित अपराध में भाग लिया था, उसका विवरण रिकॉर्ड पर लाया गया है। इसलिए, इस मोड़ पर यह मानने का कोई झुकाव नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध के बारे में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं किया है। अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक, एन, मुकर गया। इसलिए, जिन परिस्थितियों में वह मुकर गई, उनके बारे में किसी भी सबूत के अभाव में, अभियुक्तों द्वारा अन्य गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, अगर वे जमानत पर बने रहते हैं। वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां अभियुक्तों को हिरासत में या विचाराधीन के रूप में अत्यधिक समय के लिए हिरासत में रखा गया हो। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेशों में जमानत देने के संदर्भ में मामले के उक्त पहलुओं पर विचार नहीं किया। उच्च न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित हुआ है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक, एन, मुकर गया है जो एक ऐसा पहलू नहीं है जिसे जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। [पैरा 24] **[515-सी-एच; 516-ए] ए**

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

505

रोहित बिश्रोई बनाम राजस्थान और ए. एन. आर. राज्य।

1.6 जमानत देने पर विचार करने वाले न्यायालय को मामले के गुण-दोष पर विस्तृत चर्चा में शामिल नहीं होना चाहिए, कि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करते समय मामले के एक भी भौतिक पहलू को ध्यान में नहीं रखा। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने मुकदमे में केवल एक शत्रुतापूर्ण गवाह की गवाही का उल्लेख किया और उसके आधार पर, गलत तरीके से जमानत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग किया। उच्च न्यायालय ने मामले के उक्त महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया और बहुत ही गुप्त और आकस्मिक आदेश पारित करके प्रतिवादियों-अभियुक्तों को जमानत दे दी। [पैरा 25] **[516-बी-सी]**

बी.

1.7 तत्काल मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद यह प्रतिवादी-अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। उच्च

न्यायालय प्रतिवादी-अभियुक्त द्वारा दायर जमानत के लिए आवेदनों को अनुमति देने में सही नहीं था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णयों को अपास्त करना दिया जाता है। [पैरा **26**] [516-डी-ई]

सी.

डी.

बृजमणि देवी बनाम पप्पु कुमार (2022) 4 एस. सी. सी. 497; दीपक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 8 एस. सी. सी. 559; गुडीकांती नरसिम्हलु बनाम लोक अभियोजक, उच्च न्यायालय

आंध्र प्रदेश न्यायालय (1978) 1 एस. सी. सी. 240:[1978] 2

एस. सी. आर. 371; प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम एन. सी. टी., दिल्ली (2001) 4

एससीसी 280:[2001] 2 एससीआर 684; अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2018) 12 एस. सी. सी. 129:[2017] 11

ई.

एस. सी. आर. 195; राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह

(2002) 3 एससीसी 598:[2002] 2 एस. सी. आर. 526; प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी (2010) 14 एस. सी. सी. 496:[2010]

12 एस. सी. आर. 1165; रमेश भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना (कोली) (2021) 6 एस. सी. सी. 230; मनोज कुमार खोखर बनाम राजस्थान राज्य 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 30; जयबुनिशा बनाम मेहरबान (2022) 5 एस. सी. सी.

एफ.

465 - संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णय

जी.

(2022) 4 एससीसी 497

संदर्भित किया गया है

पैरा **14.3**

(2022) 8 एस. सी. सी. 559

संदर्भित किया गया है

पैरा **14.3**

[1978] 2 एससीआर 371

संदर्भित किया गया है

पैरा **18**

[2001] 2 एससीआर 684

संदर्भित किया गया है

पैरा **18**

एच.

506 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

ए.

[2017] 11 एससीआर 195

संदर्भित किया गया है

पैरा **18**

[2002] 2 एससीआर 526

संदर्भित किया गया है

पैरा **19**

[2010] 12 एससीआर 1165

संदर्भित किया गया है

पैरा **19**

(2021) 6 एससीसी 230

संदर्भित किया गया है

पैरा **19**

बी.

(2022) 5 एस. सी. सी. 465

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील No.2078।

2021 के एस. बी. सी. आर. एम. एस. बी. ए. No.16016 में जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 14.02.2022 से।

सी.

के साथ

2023 की आपराधिक अपील Nos.2079-2080।

प्रदीप छिंदरा, राजन चावला, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।बी. एस. राजेश अग्रजीत, राजेश चंद, सुश्री ज्योति राणा, सुश्री प्रिया नागर, सुश्री मीतू गोस्वामी, सिद्धार्थ गोस्वामी, डी. के. देवेश, असद अल्वी, सुश्री सबा ए. के. पटेल, हामिद इरफान, मिलिंद कुमार, निशांत बिश्रोई, सुश्री सृष्टि प्रभाकर, तनय हेगड़े, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

ई.

नागरत्ना, जे.

देरी को माफ कर दिया गया।

छुट्टी दे दी गई।

3. इन अपीलों को सूचना देने वाले-अपीलकर्ता द्वारा 14 फरवरी, 2022 और 02 फरवरी, 2023 के राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जोधपुर में एस. बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2021 की 16016, 2022 की 4265 और 2022 की 4823 में पारित निर्णयों पर जोर देते हुए प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत उत्तरदाताओं-अभियुक्तों, क्रमशः विकास विश्रोई, बुधराम और राजेंद्र बिश्रोई को जमानत दी गई है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में "एफ. आई. आर".) 2020 की संख्या 134 के संबंध में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के सहपठित पठनीय धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मंडोर पुलिस स्टेशन, जिला जोधपुर, राजस्थान में दर्ज है।

एफ.

जी.

एच.

रोहित बिश्रोई बनाम राजस्थान और ए. एन. आर. राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

ए.

4. संक्षेप में तथ्य यह है कि अपीलार्थी मृतक में से एक, विकास पंवार का भाई है और वह सूचना देने वाला है जिसने चार व्यक्तियों के खिलाफ 2020 की एफ. आई. आर. संख्या 134 दर्ज की थी, जिसमें तीन प्रतिवादी भी शामिल हैं।

4.1.18 मई, 2020 के 2020 के एफ. आई. आर. सं. 134 में कहा गया है कि अपीलार्थी द्वारा रात के 2 घंटे 45 से 2.5 घंटे के बीच दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसका बड़ा भाई, विकास पंवार, जो उस समय 25 वर्ष का था, तीन महीने से निरमा @गुडिया के साथ एक अतिरिक्त वैवाहिक संबंध में था, जिसकी शादी श्रवण जानी से हुई थी और उक्त विवाह से उसके दो बच्चे थे। उक्त विवाहेतर लिव-इन-रिलेशनशिप से नाखुश होकर, निरमा के माता-पिता और सास-ससुर अपीलार्थी के भाई विकास पंवार को मारने की धमकी दे रहे थे।

बी.

सी.

4.2. कि निरमा के भाई बुधराम और विकास विश्रोई, निरमा के पति श्रवण जानी और निरमा के बहनोई राम किशोर सूचना देने वाले के भाई को कॉल और वॉट्सऐप संदेशों के माध्यम से धमकी दे रहे थे।

डी.

4.3. कि 17 मई, 2020 को दोपहर लगभग 12.15 बजे, मुखबिर के भतीजे ने उसे टेलीफोन पर सूचित किया कि उसके भाई, विकास को गोली मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा था। कहा जाता है कि यह घटना नयापुरा मंडोर इलाके में हुई थी और उक्त जानकारी प्राप्त करने पर, मुखबिर और उसके पिता उक्त इलाके में पहुंचे और विकास पंवार को जमीन पर मृत पड़ा पाया, जिसकी पसलियों से खून बह रहा था।

ई.

4.4. पूछताछ करने पर, मुखबिर को पता चला कि उपरोक्त चार आरोपी दो मोटरसाइकिलों पर आए थे और सब्जियां खरीद रहे विकास को घसीटते हुए ले गए थे। इसके बाद, उन्होंने उस पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

एफ.

5. इससे पहले, 18 फरवरी, 2020 को मीरा देवी ने पुलिस स्टेशन बिलारा, जोधपुर में एफ. आई. आर. संख्या 81 2020 दर्ज की थी, जिसमें कहा गया था कि मृतक-विकास पंवार ने उनकी बहू निरमा का अपहरण कर लिया था। 6. 24 फरवरी, 2020 को निरमा ने अपने

बहनोई और सास-ससुर के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 498 ए और 376 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2020 की एफ. आई. आर. संख्या 88 दर्ज की, जिसमें कहा गया कि उसके बहनोई ने बार-बार उसके साथ बलात्कार किया और उसके वैवाहिक घर में उसके साथ क्रूरता की जा रही थी।

जी.

7. 2020 के एफ. आई. आर. सं. 134 के संबंध में, प्रतिवादी-अभियुक्त, बुधराम को 22 मई, 2020 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि प्रतिवादी-अभियुक्त,

एच.

508

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

राजेंद्र बिश्रोई और विकास विश्रोई को 30 मई, 2020 को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

8. जाँच करने के बाद, पुलिस ने 19 अगस्त, 2022 को महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर, जोधपुर के समक्ष प्रतिवादी-अभियुक्त सहित आठ अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। प्रतिवादी-अभियुक्त, बुधराम पर आई. पी. सी. की धारा 302 और 120 बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 सहपठित धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था, जबकि प्रतिवादी-अभियुक्त, राजेंद्र बिश्रोई और विकास विश्रोई पर आई. पी. सी. की धारा 302 और 120 बी के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था।

बी.

9. प्रतिवादी-अभियुक्त, विकास विश्रोई ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, महानगर, जोधपुर की न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत के लिए एक याचिका दायर की। इसे 10 नवंबर, 2021 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

सी.

10. प्रतिवादी-अभियुक्त, विकास विश्रोई द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत दायर नियमित जमानत की याचिका को 16 अप्रैल, 2021 के एक आदेश द्वारा वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था।

डी.

11. इसके बाद, प्रतिवादी-अभियुक्त, विकास विश्वोई ने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरा जमानत आवेदन दायर किया, जो 2021 का एस. बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 16016 था। 14 फरवरी, 2022 के विवादित फैसले से उच्च न्यायालय ने उन्हें राजस्थान के जोधपुर जिले के पुलिस स्टेशन मंडोर में पंजीकृत 2020 के एफ. आई. आर. संख्या 134 के संबंध में जमानत दे दी।

ई.

12. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने 02 फरवरी, 2023 के विवादित फैसले के माध्यम से एस. बी. आपराधिक विविध जमानत संख्या 2022 की 4265 और 2022 की 4823 की अनुमति दी और इस तरह उत्तरदाताओं-क्रमशः बुधराम और राजेंद्र बिश्वोई को जमानत दे दी। व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी-मुखबिर ने इस न्यायालय के समक्ष इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।

एफ.

13. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप छिंदरा, श्री बी. एस. राजेश अग्रजीत, श्री असद अल्वी, श्री हामिद इरफान और श्री निशांत बिश्वोई के साथ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री सृष्टि प्रभाकर को सुना है।

जी.

एच.

509

रोहित बिश्वोई बनाम राजस्थान और ए. एन. आर. राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

ए.

14. आरंभ में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त की सक्रिय संलिप्तता और उन अपराधों की जघन्य प्रकृति के बारे में तथ्यों पर विचार किए बिना विवादित निर्णय पारित किए गए हैं जिनमें अभियुक्त शामिल रहे हैं। कि उच्च न्यायालय ने कानून के तय किए गए सिद्धांतों और इस न्यायालय के निर्णयों के विपरीत, प्रतिवादियों-अभियुक्तों को जमानत पर बढ़ा दिया है।

बी.

14.1. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने तत्काल मामले में जमानत देने का कारण नहीं बताया है, जबकि प्रतिवादियों-अभियुक्तों ने कथित रूप से जघन्य अपराध किए हैं जिनके परिणामस्वरूप आजीवन कारावास या यहां तक कि मौत की सजा भी हो सकती है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही गुप्त आदेश में, किसी भी तर्क के बिना, प्रतिवादी-अभियुक्त को जमानत दे दी है।

सी.

14.2. यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय भारी सामग्री पर विचार करने में विफल रहा जो अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने केवल एक शत्रुतापूर्ण गवाह की गवाही का उल्लेख किया और उसके आधार पर गलत और विकृत तरीके से जमानत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग किया।

डी.

14.3. श्री प्रदीप छिंदरा ने आगे तर्क दिया कि जमानत देने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, अदालत के विवेक का प्रयोग जमानत देने के आदेश में दर्ज किए जाने वाले कारणों से निर्देशित होना चाहिए। कि न्यायालय को आरोपों की गंभीरता और सजा की प्रकृति का उचित ध्यान रखना चाहिए जो कथित अपराधों के लिए दोषसिद्धि के बाद होगी। उनकी प्रस्तुति के समर्थन में, निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है

ई.

इस न्यायालय के बृजमणि देवी बनाम पप्पु कुमार-[(2022) 4 एस. सी. सी. 497] और दीपक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य-[(2022) 8 एस. सी. सी. 559] मामले में।

एफ.

15. राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री बी. एस. राजेश अग्रजीत की दलीलें भी इसी आधार पर थीं। यह प्रस्तुत किया गया था कि जांच अधिकारियों ने चश्मदीद गवाहों और अन्य गवाहों के बयानों के रूप में भारी सबूत एकत्र किए थे, जिन्होंने तस्वीरों और सीसीटीवी फुटेज में अभियुक्तों की पहचान की थी, जिसमें वे अपराध स्थल से भागते हुए देखे गए थे। कि पुलिस ने हत्या के हथियार, फोन भी बरामद किए जिन पर जानकारी प्रसारित की गई थी, टोही की गई थी, कॉल टावर रिकॉर्ड, बाइक जिन पर भागने की योजना बनाई गई थी आदि। कि आरोप-पत्र में प्रतिवादियों-अभियुक्तों के अपराध स्थल से भागने के सचित्र साक्ष्य शामिल हैं। कि उच्च न्यायालय ने पाठ्यक्रम के दौरान एकत्र किए गए ऐसे स्पष्ट और ठोस साक्ष्य की अनदेखी की

जी.

एच.

510

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

जाँच, जो कम से कम प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है और गलती से जमानत देने के लिए आगे बढ़ती है। 15.1. यह आग्रह किया गया कि जमानत देने से संबंधित मामलों में विवेक का उपयोग प्रत्येक मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। कि जमानत देने या न देने का निर्णय आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के खिलाफ साक्ष्य की ताकत, दोषसिद्धि के बाद सजा की संभावित गंभीरता, आरोपी के फरार होने की संभावना, आरोपी के गवाहों को प्रभावित करने की संभावना, व्यापक सार्वजनिक हित और अन्य प्रासंगिक कारकों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए। कि जहाँ अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ आरोप (ओं) के समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम रहा है, वह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं होगा।

बी.

सी.

15.2. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि आरोपी न केवल मृतक विकास पंवार की हत्या की साजिश में शामिल थे, बल्कि उनकी हत्या में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। कि अभियुक्त के खिलाफ कथित अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, जमानत आवेदनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।

डी.

उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए, विवादित निर्णयों को अपास्त करना दिया जाए और प्रतिवादियों-अभियुक्तों के जमानत बांड को रद्द कर दिया जाए।

ई.

16. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों-अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने विवादित निर्णयों का समर्थन किया और कहा कि वे ऐसी विकृति से पीड़ित नहीं हैं जो इस न्यायालय के हस्तक्षेप को उचित ठहराए। 16.1. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि कथित अपराधों की प्रकृति चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हो, अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का हकदार होगा यदि सक्षम न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह विचार है कि अभियुक्त कथित अपराध में शामिल था/नहीं था।

एफ.

16.2. कि 2020 के एफ. आई. आर. सं. 134 के संबंध में मुकदमे के समापन में काफी समय लगेगा और यह न्याय के हित और आरोपी को ऐसी अनिश्चित अवधि के लिए हिरासत में रखने की स्वतंत्रता के मौलिक मूल्य के खिलाफ होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय अभियुक्त को जमानत पर बढ़ाने में सही था।

जी.

16.3.यह तर्क दिया गया था कि इस आशंका का कोई उचित कारण नहीं था कि प्रतिवादी-अभियुक्त ए को प्रभावित करेंगे।

एच.

511

रोहित बिश्रोई बनाम राजस्थान और ए. एन. आर. राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

गवाह।कि जब अभियोजन पक्ष की गवाह, निरमा, जो मुकर गई थी, का बयान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया था, तो प्रतिवादी-आरोपी न्यायिक हिरासत में थे।इसलिए, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे उक्त गवाह को शत्रुतापूर्ण होने के लिए प्रभावित कर सकते थे।

16.4.यह कि प्रतिवादी-अभियुक्तों का उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का कोई इरादा नहीं था और यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि उनके खिलाफ जमानत की शर्तों का पालन न करने या दुरुपयोग करने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

बी.

16.5.प्रतिवादी-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विकास बिश्रोई ने प्रस्तुत किया कि कथित अपराध में उक्त अभियुक्त की एकमात्र भूमिका यह है कि वह घटना के समय एक सह-अभियुक्त के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था।कि उक्त अभियुक्त पर मृतक को कोई चोट पहुँचाने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

सी.

16.6.जहां तक प्रतिवादी-अभियुक्त, राजेंद्र बिश्रोई के खिलाफ इस आशय के आरोपों का संबंध है कि उसने मृतक के सिर पर पिस्तौल के बट से वार किया था, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वे निराधार थे और इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था।इसी तरह, प्रतिवादी-अभियुक्त, बुधराम के खिलाफ इस आशय के आरोप कि उन्होंने मृतक पर गोलियां चलाई थीं।

डी.

उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दिया जाए और विवादित निर्णयों की पुष्टि की जाए।

ई.

17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादियों-अभियुक्तों को जमानत देने वाले विवादित निर्णय किसी भी तर्क से रहित हैं और वे गूढ़ हैं और जमानत आकस्मिक तरीके से दी गई है, हम उच्च न्यायालय द्वारा 14 फरवरी, 2022 और 02

फरवरी, 2023 को पारित किए गए विवादित निर्णयों के उन हिस्सों को निकालते हैं जो जमानत देने के लिए न्यायालय का "तर्क" प्रदान करते हैं, जो निम्नानुसार है:

एफ.

14 फरवरी, 2022 का विवादित फैसला "पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

जी.

अभियोजन पक्ष की गवाह निरमा @गुड़िया ने अपने पुलिस बयान में, सीसीटीवी फुटेज में याची और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की है, लेकिन अपने न्यायालयी बयान में, उसने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है और मुकर गई है। जहाँ तक गवाह रोहित का सवाल है, मैंने उसकी पुलिस को देखा है।

एच.

512

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

बयान और उन बयानों में, उन्होंने बस इतना कहा है कि उन्हें सूचित किया गया था कि इस घटना को याची और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अंजाम दिया गया है। विचारण न्यायालय के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं याची (गण) को धारा 439 Cr.P.C के तहत जमानत देना उचित और उचित समझता हूँ। तदनुसार, धारा 439 Cr.P.C के तहत दायर इस/इन दूसरी जमानत याचिकाओं को अनुमति दी जाती है/दी जाती है और यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता-विकास विश्वोई पुत्र हनुमान राम को मंडोर पुलिस स्टेशन, जिला जोधपुर की प्राथमिकी No.134/2020 के संबंध में जमानत पर रिहा विद्वान जाएगा, बशर्ते कि वह/वे Rs.50,000 की राशि में एक व्यक्तिगत मुचलका निष्पादित करें।"

बी.

सी.

2 फरवरी, 2023 का विवादित फैसला "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं धारा 439 Cr.P.C के तहत आरोपी याचिकाकर्ताओं को बिल देना उचित और उचित मानता हूँ।

डी.

तदनुसार, धारा 439 Cr.P.C के तहत दायर जमानत आवेदनों की अनुमति दी जाती है और यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता राजू @

ई.

पुखराज के राजेंद्र बिश्रोई पुत्र @पप्पाराम और बुधराम

एस/ओ कोजाराम को पुलिस स्टेशन मंडोर, जिला जोधपुर में पंजीकृत एफ. आई. आर. No.134/2020 के संबंध में जमानत पर रिहा विद्वान जाएगा, बशर्ते कि उनमें से प्रत्येक <आई. डी. 1,000/- की राशि के साथ दो ध्वनि और विलायक प्रतिभूतियों <आई. डी. 2,000/- के साथ एक व्यक्तिगत मुचलका निष्पादित करे, ताकि सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर और जब भी मुकदमा पूरा होने तक ऐसा करने के लिए बुलाया जाए, उस न्यायालय के समक्ष उनकी उपस्थिति के लिए विद्वान निचली न्यायालय की संतुष्टि हो।”18. इस न्यायालय ने कई मौकों पर जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले कारकों पर चर्चा की है। जमानत देने का निर्णय लेते समय जिन प्राथमिक विचारों को संतुलित रखा जाना चाहिए, वे हैं: (i) अपराध की गंभीरता; (ii) अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना; (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर अभियुक्त की रिहाई का प्रभाव; (iv) अभियुक्त के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना। जबकि ऐसी सूची संपूर्ण नहीं है, यह कहा जा सकता है कि यदि ए

एफ.

जी.

एच.

513

रोहित बिश्रोई बनाम राजस्थान और ए. एन. आर. राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

एक न्यायालय जमानत आवेदन पर निर्णय लेने में ऐसे कारकों को ध्यान में रखता है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निर्णय एक विवेकपूर्ण अभ्यास के परिणामस्वरूप हुआ है।

गुडीकांती नरसिम्हुलु बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय-[(1978) 1 एस. सी. सी. 240]; प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम एन. सी. टी., दिल्ली-[(2001) 4 एस. सी. सी. 280]; अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)-[(2018) 12 एस. सी. सी. 129]।

बी.

19. राम गोविंद के अनुसार, इस न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया है कि बिना कारणों को दर्ज किए यांत्रिक तरीके से जमानत देने का आदेश मन का उपयोग न करने से प्रभावित होगा, जिससे यह अवैध हो जाएगा।

उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह-[(2002) 3 एस. सी. सी. 598]; प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी-[(2010) 14 एस. सी. सी. 496]; रमेश भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना (कोली)-[(2021) 6 एस. सी. सी. 230]; बृजमणि देवी बनाम पप्पु कुमार (उपरोक्त)।

सी.

20. इस न्यायालय के हाल के फैसलों का भी संदर्भ दिया जा सकता है।

मनोज कुमार खोखर बनाम राजस्थान राज्य-[2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 30] और जयबुनिशा बनाम मेहरबान-[(2022) 5 एस. सी. सी. 465], जिसमें,

डी.

ऊपर उद्धृत मामले की विस्तृत चर्चा में शामिल होने पर और यह विधिवत स्वीकार करने के बाद कि व्यक्ति की स्वतंत्रता एक अमूल्य अधिकार है, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी अभियुक्त को जमानत देने का आदेश, यदि आकस्मिक और गुप्त तरीके से पारित किया जाता है, तो इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अपास्त करना किया जा सकता है।

ई.

21. लैटिन उक्ति "सेसांते राशन लेजिस सेसैट इप्सा लेक्स"

जिसका अर्थ है "तर्क कानून की आत्मा है, और जब किसी विशेष कानून का कारण समाप्त हो जाता है, तो कानून भी ठीक है।"

22. हालांकि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता एक अमूल्य अधिकार है, साथ ही जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालयें किसी आरोपी के खिलाफ आरोपों की गंभीर प्रकृति और मामले से संबंधित तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं, विशेष रूप से जब आरोप झूठे, तुच्छ या परेशान करने वाले प्रकृति के नहीं हो सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर लाई गई पर्याप्त सामग्री द्वारा समर्थित हैं ताकि न्यायालय को प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके। जमानत देने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष कारणों से समर्थित होना चाहिए और रिकॉर्ड पर लाए गए मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उस पर पहुंचना चाहिए। अपराध की प्रकृति, अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई हो, और सजा की प्रकृति का संकेत देने वाले तथ्यों पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

एफ.

जी.

एच.

एक अभियुक्त के खिलाफ कथित अपराध/धाराओं के संबंध में दोषसिद्धि का पालन करेगा।

23. हमने उपरोक्त आक्षेपित आदेश के प्रासंगिक भागों को निकाला है। शुरुआत में, हम देखते हैं कि निकाले गए हिस्से ही जमानत देते समय उच्च न्यायालय के "तर्क" का हिस्सा हैं। जैसा कि पूर्वनिर्धारित निर्णयों से उल्लेख किया गया है, किसी न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जमानत देते समय विस्तृत कारण बताए या अभियोजन पक्ष के मामले के गुण-दोष के बारे में बारीकी से जांच करे, विशेष रूप से जब मुकदमा प्रारंभिक चरण में हो और अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को इस तरह से स्पष्ट नहीं किया गया हो। विस्तृत विवरण दर्ज नहीं किया जा सकता है ताकि यह धारणा दी जा सके कि मामला ऐसा है जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होगी या इसके विपरीत, जमानत देने के आवेदन पर आदेश पारित करते समय बरी हो जाएगा। हालाँकि, जमानत आवेदन का निर्णय लेने वाला न्यायालय मामले के भौतिक पहलुओं जैसे कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों से अपने निर्णय को पूरी तरह से अलग नहीं कर सकता है; यदि आरोप उचित संदेह से परे साबित होते हैं और इसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होती है तो सजा की गंभीरता; गवाहों के अभियुक्त से प्रभावित होने की उचित आशंका; साक्ष्य के साथ छेड़छाड़; अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि; और अभियुक्त के खिलाफ आरोप के समर्थन में न्यायालय को प्रथम दृष्टया संतुष्टि।

बी.

सी.

डी.

24. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अब हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करेंगे। प्रतिवादियों-अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों के साथ-साथ बार में उठाए गए तर्कों को ऊपर वर्णित किया गया है। उसी पर विचार करने पर, मामले के निम्नलिखित पहलू सामने आएंगे:

ई.

क) प्रतिवादी-अभियुक्त, बुधराम के खिलाफ आरोप आई. पी. सी. की धारा 302 और 120 बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 सहपठित धारा 3 के तहत अपराधों के लिए हैं, जबकि प्रतिवादी-अभियुक्त, राजेंद्र बिश्रोई और विकास बिश्रोई के खिलाफ आरोप आई. पी. सी. की धारा 302 और 120 बी के तहत अपराधों के लिए हैं।

एफ.

ख) प्रतिवादियों-अभियुक्तों के खिलाफ आरोप न केवल यह है कि वे मृतक विकास पंवार की हत्या की साजिश में शामिल थे, बल्कि यह भी है कि उन्होंने उसकी हत्या में सक्रिय रूप से भाग लिया था। कथित घटना को ऑनर किलिंग का एक उदाहरण बताया गया है।

जी.

ग) 19 अगस्त, 2022 के आरोप पत्र के अवलोकन से पता चलेगा कि ए में से प्रत्येक के लिए विशिष्ट भूमिकाएं निर्धारित की गई हैं।

एच.

515

रोहित बिश्रोई बनाम राजस्थान और ए. एन. आर. राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

कथित घटना में प्रतिवादी-अभियुक्त। यह आरोप लगाया जाता है कि प्रतिवादी-आरोपी राजेंद्र बिश्रोई ने मृतक के कॉलर को पीछे से खींचा, ताकि उसे सीढ़ियों से नीचे खींचा जा सके, जिस पर वह खड़ा था, जिसके बाद प्रतिवादी-आरोपी विकास बिश्रोई ने मृतक को पकड़ लिया, जिससे सह-आरोपी राजू उसे देसी पिस्तौल के बट से उसके सिर पर मारने में सक्षम हो गया। उक्त तरीके से मृतक को अक्षम करने के बाद, बुधराम मृतक की छाती और पीठ पर गोलियां चलाने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।

बी.

घ) वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया पूरी तरह से झूठे, तुच्छ या परेशान करने वाले प्रकृति के हैं, ताकि जमानत देने को उचित ठहराया जा सके। हम देखते हैं कि मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हुए, अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सामग्री दर्ज की है जो प्रथम दृष्टया आरोपी के अपराध की ओर इशारा करती है। जिस तरह से मृतक, विकास पंवार और निरमा का आरोपी द्वारा पता लगाया गया था, कथित दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पहले आरोपी द्वारा की गई जासूसी के कार्य और जिस तरह से प्रत्येक आरोपी ने कथित अपराध में भाग लिया था, उसका विवरण रिकॉर्ड पर लाया गया है। इसलिए, हम इस मोड़ पर यह मानने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध के बारे में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं किया है।

सी.

डी.

ई.

ई) अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक, अर्थात् निरमा, मुकर गया। इसलिए, जिन परिस्थितियों में वह मुकर गई, उनके बारे में किसी भी सबूत के अभाव में, हम प्रतिवादी-अभियुक्त द्वारा अन्य

गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं, अगर वे जमानत पर बने रहते हैं।

एफ.

च) वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहाँ अभियुक्तों को विचाराधीन के रूप में अत्यधिक समय के लिए हिरासत में रखा गया हो।

जी.

छ) राजस्थान उच्च न्यायालय ने 09 सितंबर, 2019 और 17 अक्टूबर, 2019 के विवादित आदेशों में मामले के विवादित पहलुओं पर विचार नहीं किया है।

एच.

516

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

जमानत की मंजूरी। उच्च न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित हुआ है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक, निरमा, मुकर गया है, जो एक ऐसा पहलू नहीं है जिसे जमानत के आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

25. यद्यपि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि जमानत देने पर विचार करने वाले न्यायालय को मामले के गुण-दोष पर विस्तृत चर्चा में शामिल नहीं होना चाहिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करते समय मामले के एक भी भौतिक पहलू को ध्यान में नहीं रखा है। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने मुकदमे में केवल एक शत्रुतापूर्ण गवाह की गवाही का उल्लेख किया और उसके आधार पर, गलत तरीके से जमानत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग किया। उच्च न्यायालय ने मामले के उपरोक्त महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया है और बहुत ही गुप्त और आकस्मिक आदेश पारित करके प्रतिवादियों-अभियुक्तों को जमानत दे दी है।

बी.

सी.

26. ऊपर उल्लिखित कानून के आलोक में वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद, हम नहीं मानते कि यह मामला प्रतिवादी-अभियुक्तों को जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला है, उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय प्रतिवादियों-अभियुक्तों द्वारा दायर जमानत के आवेदनों को अनुमति देने में सही नहीं था।

इसलिए, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित 14 फरवरी, 2022 और 02 फरवरी, 2023 के विवादित फैसलों को अपास्त करना दिया गया है।अपीलों की अनुमति है।

डी.

ई.

27. प्रतिवादी-आरोपी जमानत पर हैं।उनके जमानत बांड रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।

एफ.

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायक: तमन्ना, एलसीआरए)

जी.

एच.